भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2024

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग-सुलभ सुविधाओं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग गलियारों का विकास

2024 # श्रीमती माया नारोलिया:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री केसरीदेवसिंह झाला:

श्रीमती दर्शना सिंह:

श्री जग्गेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विश्राम स्थलों, जलपान सुविधाओं तथा त्वरित आपातकालीन सहायतासुविधाओं सहित समग्र मार्ग-सुलभ सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्यन्वित विशिष्ट पहलों का ब्यौराक्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अत्यधिक यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना में क्या प्रगति हासिल की गई है;

(ग) क्या इन सुविधाओं के विकास हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाने से ग्रामीणउद्यमिता तथा स्थानीय आर्थिक विकास को प्रभावी रूप से बढ़ावा मिला है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) ट्रॉमा-केयर सेवाओं तथा आधुनिक जन-सुविधा अवसंरचना को मार्ग-सुलभ सुविधाओं के व्यापक नेटवर्क के साथ समन्वित करने के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर उपयुक्त भूमि की उपलब्धता और आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के माध्यम से मार्गस्त सुविधाओं के विकास की परिकल्पना करता है। इन मार्ग-सुलभ सुविधाओं का उद्देश्य सड़क प्रयोक्तायों और ट्रक चालकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें भोजनालय, शौचालय, पीने का पानी, पार्किंग, ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, चिकित्सा सहायता और अल्पकालिक आवास शामिल हैं।

(ख) आज की तारीख में, देश में 84 संचालित मार्ग सुलभ सुविधाओं में ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में ईवी चार्जिंग सुविधा वाले डब्ल्यूएसए के परिचालन का राज्य-वार सारांश अनुलग्नक-क में संलग्न है।

(ग) और (घ) स्थानीय उद्यमिता और स्थानीय आर्थिक विकास पर मार्ग-सुलभ सुविधाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, एनएचएआई अपने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस तैनात कर रहा है ताकि दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक उपचार / बुनियादी स्थिरीकरण प्रदान किया जा सके और निकटतम स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्र तक पहुँचाया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा) ने ऐसे संचालित एक्सप्रेसवे पर चरणबद्ध तरीके से 34 एएलएस एम्बुलेंस की तैनाती को स्वीकृत किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 13.02.2026 को 'प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना' नामक देशव्यापी योजना शुरू की है। यह योजना सूचीबद्ध और निर्दिष्ट अस्पतालों के माध्यम से सड़कों की सभी श्रेणियों पर पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹ 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

यह अग्रिम भुगतान के बिना तत्काल उपचार को अनिवार्य बनाता है, जिसके साथ ही एक एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से समानांतर रूप से पुलिस सत्यापन किया जाता है। इस योजना को एम-परिवहन मोबाइल एप्लिकेशन पर एक नागरिक-केंद्रित मॉड्यूल, अस्पताल और एम्बुलेंस सहायता के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण, जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) हेल्पलाइन का समर्थन प्राप्त है। दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 25,186 अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें से 18,149 अनुरोध पुलिस द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिससे पीड़ित योजना के अंतर्गत उपचार के लिए पात्र हो गए।

अनुलग्नक -क

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गस्त सुविधाओं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग गलियारों का विकास के संबंध में श्रीमती माया नारोलिया,डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी, श्री केसरीदेवसिंह झाला, श्रीमती दर्शना सिंह, श्री जग्गेश द्वारा दिनांक 05.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2024 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान संचालित की गई मार्ग-सुलभ सुविधाओं, जिनमें ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष-2023-24 में संचालित मार्गस्त सुलभ सुविधाएं**	**वित्त वर्ष-23-24 में संचालित मार्गस्त सुलभ सुविधाएं**	**वित्त वर्ष-2024-25 में संचालित मार्गस्त सुलभ सुविधाएं**	**वित्त वर्ष-2025-26 में चालू मार्गस्त सुलभ सुविधाएं**	**वित्त वर्ष-2025-26 में कुल संचालित मार्गस्त सुलभ सुविधाएं**
1	आंध्र प्रदेश	0	0	3	0	3
2	असम	0	3	0	0	3
3	गुजरात	0	6	0	4	10
4	हरियाणा	12	4	0	2	18
5	कर्नाटक	0	1	3	0	4
6	केरल	0	0	0	1	1
7	मध्य प्रदेश	2	0	4	0	6
8	राजस्थान	6	3	3	8	20
9	तमिलनाडु	1	2	2	0	5
10	तेलंगाना	0	0	0	1	1
11	उत्तर प्रदेश	4	0	5	1	10
12	पश्चिम बंगाल	1	0	0	1	2
	कुल	**26**	**19**	**20**	**18**	**83**

नोट: वर्तमान में वित्त वर्ष 2026-27 में ईवी चार्जिंग सुविधा के साथ 01 डब्ल्यूएसए साइट को चालू किया गया है। इसलिए, कुल 84 साइटों को 2026-27 में चालू किया गया है।
